इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2011—फाल्गुन 24, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2011

क्र. 7537-वि. स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 15 मार्च, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०११

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०११

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ७-क का अंत:स्थापन.

२. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक ४ सन् २००९) की धारा ७ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

नये महाविद्यालय स्थापित करने और उन्हें सम्बद्ध करने के लिए अनुज्ञा का अपेक्षित होना.

''७-क (१) विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण देने के लिए कोई महाविद्यालय स्थापित करने की वांछा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा महाविद्यालय स्थापित करने और प्रशासित करने अथवा चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार अथवा ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, विस्तृत जानकारी देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा.

(२) आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, अनुज्ञा प्रदान करेगा.

(३) अनुज्ञा अभिप्राप्त कर लेने के पश्चात्, प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाएगा और ऐसे महाविद्यालय को अधिनियम के उपबंधों के अधीन, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएंगे.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में राज्य के कृषि विश्वविद्यालय अधिनियमों में निजी क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने के लिए कोई उपबंध नहीं है. अतएव, यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने के लिए उपबंध किया जाए जिससे कि राज्य में छात्रों की बड़ी संख्या के लिए कृषि क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की क्षमता में राज्य द्वारा वृद्धि की जा सके. कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान से विशेषत: ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी. इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक ४ सन् २००९) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ५ मार्च, २०११.

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ (१) एवं (२) द्वारा राज्य सरकार को नए महाविद्यालय स्थापित एवं प्रशासित करने तथा उसकी संबद्धता की अनुज्ञा प्रदान करने संबंधी विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है.

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.